कार्यालयः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, रांची—834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक:IIE-19(A)90/15 दिनांक:

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची।
सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक /
सभी मुख्य वन संरक्षक / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

विषय: **सड़क / नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से नहर पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थो तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन विपणन एवं परिवहन संबंधी नियमावली को प्रस्तावित करने के संबंध में।**

प्रसंग: क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 2052 दिनांक 15.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्रस्तावित **"झारखंड वृक्ष विक्रय नियमावली 2016"** पर सुविचारित मंतव्य से इस कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

ज्ञापांक: 3845 **दिनांक:** 3.10.16

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, रांची को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट में upload करने हेतु प्रेषित।

30/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।

VAN BHAWAN, PURULIA ROAD, CHAS, BOKARO - 827013

झारखण्ड सरकार ☎ : - 06542-265440 Email – bokarorccf@gmail.com

(31)

पत्रांक : 2052/ दिनांक : 15/09/16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **सड़क/नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से बाहर) पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थों तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन, विपणन एवं परिवहन संबंधी नियमावली को प्रस्तावित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका कार्यालय आदेश संख्या 104 ज्ञापांक 1949 दिनांक 27.05.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा गठित समिति द्वारा सड़क/नहर किनारे अथवा सरकारी भूमि (अधिसूचित वन सीमा से बाहर) पर अवस्थित सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वन पदार्थों तथा परिपक्व वृक्षों के विदोहन, विपणन एवं परिवहन संबंधी प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत **"झारखण्ड वृक्ष विक्रय नियमावली, 2016"** का ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न समर्पित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

15/9/16

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

15/09

अनु0 – यथोक्त।

8305

Draft

(45)

झारखण्ड वृक्ष विक्रय नियमावली, 2016

संख्या - वन विक्रय -

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–76 की उपधारा (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल अधिसूचित वन भूमि के बाहर सरकारी भूमि पर अवस्थित बड़े पैमाने पर सूखे/गिरे, रूग्ण, मृत हो रहे वृक्षों की बिक्री को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –**
   (1) यह नियमावली "झारखण्ड वृक्ष–विक्रय नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
   (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **नियमावली का प्रभाव क्षेत्र –** यह नियमावली अधिसूचित वन भूमि के बाहर सरकारी भूमि के विभिन्न स्थलों एवं सड़क/नहर किनारे पर छिटपुट संख्या में उपलब्ध सूखे, रूग्ण, मृत हो रहे अथवा गिरे पड़े वृक्षों तथा परिपक्व कीमती विदोहन योग्य प्रकाष्ठ प्रजातियों यथा सागवान, शीशम, गम्हार आदि की बिक्री पर भी लागू होगी। आम, जामुन आदि फलदार वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा। सिर्फ सूखे, गिरे पड़े या क्षति पहुँचाने वाले फलदार वृक्षों यथा आम, जामुन आदि का विदोहन किया जा सकेगा।

3. **विक्रय एवं निविदा प्रकाशन की प्रकिया :–**
   (1) सूखे खड़े/गिरे, रूग्ण, मृत हो रहे वृक्षों की बिक्री "जहाँ है जैसा है" के आधार पर संबंधित प्रादेशिक वन प्रमण्डल द्वारा सरकारी भूमि का स्वामित्व रखने वाले सरकारी विभाग/संस्थान आदि के अनुरोध पर की जायेगी।
   (2) वृक्षों की बिक्री एक या एक से अधिक किलोमीटर क्षेत्र के भीतर के वृक्षों को एक लौट बनाकर की जायेगी।
   (3) बिक्री मुहरबंद निविदा आमंत्रित कर स्थल पर से ही की जायेगी।
   (4) निविदा सूचना का प्रकाशन–राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से, निविदा प्राप्ति हेतु नियत तिथि से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व किया जायेगा।

4. **बिक्री हेतु लौट निर्माण की प्रकिया –**
   (1) प्रत्येक वन प्रमण्डल के सीमाक्षेत्र में बेचे जानेवाले वृक्षों के एक या एक से अधिक किलोमीटर के पट्टी क्षेत्र का एक–एक लौट बनाया जायेगा। सड़क/तटबंध/नहर आदि की दशा में प्रत्येक किलोमीटर में दोनों किनारों पर खड़े वृक्षों का केवल एक लौट होगा।
   (2) प्रत्येक लौट को एक निश्चित संख्या द्वारा चिन्हित किया जायगा जिसे अब से लौट संख्या कहा जायेगा।

   ऐसी जगहों पर मोटे पेडों की छाल छीलकर या धातु का पतला चदरा चिपकाकर उस पर लौट संख्या लिखी जायेगी जो आसानी से देखी जा सके।

   लौट के नाम से, लौट संख्या के अतिरिक्त पथ/बांध/नहर का नाम जुड़ा होगा। उदाहरणस्वरूप यदि खूँटी प्रमण्डल के एन0एच 33 पर कोई लौट बनाया जाता है तो उसका नाम लौट संख्या ..../वर्ष................/एन0एच0 33 ....कि0मी0 से .... कि0मी0 तक खूँटी वन प्रमण्डल होगा।

   (3) जिन क्षेत्रो (रैखिक क्षेत्र) में बेचे जाने वाले पेड़ों की संख्या इतनी कम हो कि एक किलोमीटर का एक लौट बिक्री योग्य नहीं हो तो एक किलोमीटर से अधिक लम्बाई में अवस्थित पेडों को मिलाकर एक लौट बनाया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक वन प्रमण्डल [illegible] लौटों की एक सूची प्रति वर्ष जनवरी माह में प्रमण्डल [illegible] तैयार की [illegible] प्रमण्डल की लॉट लिस्ट कहलायेगी। इसमें प्रजातिवार पेड़ो की संख्या [illegible] गोलाई छाल के साथ भू–स्तर से ऊपर छाती की ऊँचाई (4 फीट 6 इंच) पर होगा।

(5) निविदा में बिकी हेतु रखे गये लौटों की सूची को प्रमण्डल विशेष की बिकय–सूची कही जायेगी जिसमें विभिन्न लौटों का नाम, प्रजातिवार वृक्षों की संख्या एवं सुरक्षित मूल्य अंकित रहेगा।

5. **निविदा प्रस्तुत करने की प्रकिया**

(1) प्रत्येक निविदा विहित प्रपत्र मे ही समर्पित की जायेगी। निविदा प्रपत्र प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध होगा।

(2) निविदा प्रपत्र कार्यालय प्रधान द्वारा कमांक, मुहर और हस्ताक्षर के साथ निर्गत किया जायेगा।

(3) एक निविदा प्रपत्र मे केवल एक लौट के लिए निविदा भरी जायेगी। एक लौट के लिए एक से अधिक निविदा प्राप्ति की दशा मे केवल उच्चतम बोली की निविदा पर विचार किया जायेगा।

(4) वैसी कम्पनी, जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत निबंधित हो, के द्वारा प्राधिकृत निदेशक तथा वैसे निबंधित पार्टनरशिप फर्म, जिनका निबंधन पार्टनरशिप ऐक्ट के तहत हुआ हो, के प्रबंध भागीदार या कोई भी प्राधिकृत भागीदार को निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। पार्टनरशिप डीड आदि अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ इनसे संबंधित दस्तावेज को वन विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष निविदा खोलते समय प्रस्तुत करने होंगे। यदि उपर्युक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो निविदा रद्द की जा सकती है। दिये गये दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दस्तावेजों की मूल प्रति वापस कर दी जायेगी।

(5) सशर्त निविदा या विहित रीति से अन्यथा प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(6) प्रत्येक निविदादाता, निविदा प्रपत्र भरकर अन्य सभी अध्यपेक्षित अभिलेखों, तथा नियम 5(11) (1) के अनुसार अग्रधन की राशि के साथ निविदा समर्पित करेंगे।

(7) सभी प्रकार से पूर्ण निविदा मुहरबंद लिफाफे में दी जायेगी। निविदादाता वन विभाग के उस कार्यालय–प्रधान का पता लिखेगा जहाँ निविदादाता निविदा अर्पित कर रहा है।

(8) केवल अनुसूचित तिथि एवं समय पर प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। निविदा सिर्फ प्रमण्डलीय कार्यालयो में ही प्राप्त किये जायेंगे।

(9) निविदादाताओ द्वारा निविदा में भागीदारी से ही यह माना जायेगा कि उन्हें वृक्षों की बिक्री हेतु निर्धारित नियम एवं संविदा की सभी शर्तें उनको बिना शर्त स्वीकार्य हैं एवं निविदा की सभी शर्त एवं निबंधन केता के साथ की जानेवाली संविदा के भाग होंगे।

(10) निविदादाताओं से यह अपेक्षित है, कि वे निविदा समर्पित करने के पूर्व ईच्छित लौट में वृक्षों की उपलब्धता एवं वनोपज की अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता आदि से संतुष्ट हो लें। निविदा समर्पण के उपरान्त, अनुमानित मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में निविदादाताओं की आपत्ति या अन्यथा किसी दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(11) निविदा के साथ जमा किया जानेवाला अग्रधन :–

(1) प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन की नियत राशि संलग्न रहने पर ही निविदा स्वीकार्य होगी। अग्रधन की राशि निम्न रूप में होगी।

क्र0 सं0	निविदा में उधृत शुद्ध राशि (रू0 में)	देय अग्रधन राशि (रू0 में)
(क)	1 लाख रूपये तक	5,000.00 रू0
(ख)	1 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक	15,000.00 रू0

(ग)	3 लाख से अधिक एवं 5 लाख तक	25,000.00 रू0
(घ)	5 लाख से अधिक	50,000.00 रू0

(2) असफल निविदादाताओं को अग्रधन की राशि उन्हें लिखित अनुरोध पर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

(3) सफल निविदादाताओ द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि प्रतिभूति राशि में समंजनीय होगी।

6. **निविदा खोले जाने की प्रक्रिया**

(1) प्राप्त निविदाओं को अनुसूचित समय पर निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जायेगा और उनके समक्ष निविदाओं में उधृत दरों की घोषणा की जायेगी।

(2) यदि किसी लौट के लिये एक ही दर एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा उधृत की गयी है तो उस लौट की बिक्री लौटरी के माध्यम से की जायेगी, लौटरी के द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित क्रेताओं पर बाध्यकारी होगा।

(3) यदि कोई निविदादाता निविदा खोलते समय कोई व्यवधान करता है या शांति व्यवस्था बनाये रखने में समस्यायें उत्पन्न करता है तो उस निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा अविधिमान्य घोषित कर दी जायेगी, अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी और उसके विरूद्ध अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) वन प्रमण्डल पदाधिकारी निम्नलिखित अधिकारों को सुरक्षित रख सकेगा :–

(क) निविदा में अर्पित दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करना,

(ख) किसी भी लौट को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये बिक्री से वापस लेना।

7. **निविदा स्वीकृति संबंधी प्रकिया :–**

(1) विक्रय का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के बाद संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से सफल निविदादाताओ को बिकी के अनुमोदन संबंधी जानकारी संसूचित की जायेगी।

(2) अपने निविदा के अनुमोदन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेवारी स्वयं निविदादाता की होगी।

(3) सफल निविदादाता को विक्रय की जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से निविदा प्रपत्र में उल्लिखित उनके पत्राचार के पते पर प्रेषित की जायेगी।

(4) निविदादाताओं को अपने पत्राचार का सही पता निविदा प्रपत्र में लिखना चाहिए। डाक में पत्र खोने या पत्र वापस आने या उन्हें हस्तगत न होने की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं होगी।

(5) विक्रय के अनुमोदन की जानकारी प्राप्त होने अथवा वन प्रमण्डलीय कार्यालय से अनुमोदन पत्र प्रेषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सफल निविदादाता नियम 8 के अनुसार अध्यपेक्षित प्रतिभूमि राशि जमा करेगा और संविदा पर हस्ताक्षर करेगा। यदि विहित अवधि के भीतर प्रतिभूति राशि जमा न की गयी हो और संविदा हस्ताक्षरित न की गयी हो तो निविदा की स्वीकृति स्वतः रद्द समझी जायेगी और अग्रधन की राशि बिना कोई सूचना दिये समपहृत कर ली जायेगी और ऐसे सफल निविदादाता काली सूचीकृत कर दिये जायेंगे। विक्रय के अनुमोदन के बाद यदि उच्चतम बोली लगाने वाला निविदादाता अनुसूचित समय के भीतर प्रतिभूमि राशि जमा करने और संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले निदिदादाता को प्रथम निविदा रद्द होने के 15 दिनो के अन्दर प्रतिभूमि राशि जमा करने और संविदा पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात् प्रथम उच्चतम दर पर लौट क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसी दशा में द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाला निविदादाता लौट का क्रेता होगा। यदि द्वितीय निविदादाता उच्चतम दर पर क्रय करने में सहमत नहीं हो अथवा संविदा पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वन विभाग ऐसे लौटों को दुबारा बिक्री हेतु स्वतंत्र होगा [illegible] में भाग लेने का अधिकार नहीं

होगा। काली सूचीकृत क्रेताओं को [illegible] द्वारा बिक्री किये जाने वाले अन्य लौटों की बिक्री में भी अगले दो वर्षों तक भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

(6) सफल निविदादाताओं को वन विभाग की निविदा के माध्यम से खरीदे गये लौट को किसी अन्य व्यक्ति को पुनः उसी लौट के रूप में पूरे या अंश लौट बिक्री करने या हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके साथ की गयी संविदा रद्द कर दी जायेगी और उनके द्वारा जमा की गयी राशि समपहृत कर ली जायेगी।

8. **प्रतिभूमि राशि एवं संविदा पर हस्ताक्षर** –

(1) विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रू0 जो भी अधिक हो, सफल निविदादाता प्रतिभूमि राशि के रूप में जमा करेंगे और संविदा पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा।

(2) किसी कम्पनी या पार्टनशिप फर्म द्वारा अर्पित निविदा की स्वीकृति की स्थिति में नियम 5(4) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) सफल निविदादाता संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित लौट का क्रेता कहा जायेगा।

9. **विक्रय का रेटिफिकेशन** –

(1) सामान्यतः संविदा हस्ताक्षर के उपरान्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा क्रेता को संबंधित लौट का रेटिफिकेशन पत्र उसी दिन दे दिया जायेगा यदि किसी कारणवश उन दिन यह सम्भव नहीं हो तो अगले कार्य दिवस को क्रेता को हस्तगत करा दिया जायेगा।

(2) क्रेता वृक्षों के काटने, उसके पातन, प्रकाष्ठन, वनोत्पाद के निष्कासन, परिवहन आदि के लिये विहित किये गये नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, जो इस नियमावली के भाग माने जायेंगे।

10. **मूल्य एवं करों के भुगतान हेतु किस्त** –

(1) क्रेता अपने द्वारा खरीदे गये लौट का मूल्य तथा उस राशि पर भुगतेय बिक्री कर, कृषि बाजार कर, आय कर एवं अन्य सभी कर निम्नलिखित रीति से नियत किस्तों में यथा अनुसूचित तिथियो को संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में भुगतान करेगा।

(क) 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपया तक शुद्ध मूल्य के लौट के लिये शुद्ध मूल्य तथा उसकी भुगतेय करों को एक किस्त में रेटिफिकेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर जमा किया जायेगा।

(ख) 25,001 से 50,000 (पच्चीस हजार एक से पचास हजार) रूपया तक शुद्ध मूल्य के लाभ के लिए शुद्ध मूल्य तथा उस पर भुगतेय करों को दो बराबर किस्तों में जमा किया जायेगा। प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त रेटिफिकेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से क्रमशः 10 दिनों तथा 30 दिनों के भीतर जमा किये जायेंगे।

(ग) 50,001/– (पचास हजार एक) या इससे अधिक शुद्ध मूल्य के लौट के लिए शुद्ध मूल्य तथा उसपर भुगतेय सभी करों को चार बराबर किस्तों में जमा किया जायेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त रेटिफिकेशन निर्गत होने की तिथि से क्रमशः 10,20,30 एवं 45 दिनों के भीतर जमा किये जायेंगे। करों का भुगतान तत्समय विधमान नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

(2) क्रय किये गये लौट का पूरा मूल्य कर सहित एक किस्त में जमा करके पूरे लौट में कार्य करने का आदेश प्राप्त किया जा सकेगा। यदि क्रेता किस्तों में राशि का भुगतान करते है तो उन्हे कार्यादेश भी जमा की गयी राशि के अनुपात में ही दिया जायेगा।

(3) अग्रधन, प्रतिभूमि – राशि किस्तों, करों एवं शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्य से स्वीकार किया जायेगा जो संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उनके मुख्यालय में अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतेय हो। पांच हजार रू0 से कम की राशि नगद भी प्राप्त की जा सकेगी।

करों से संबंधित राशि अलग–अलग बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

(3) भुगतान की अंतिम तिथि अगर [illegible] के दिन पड़ती [illegible] बाद वाले कार्य [illegible] भुगतान की अंतिम तिथि [illegible]

11. **संविदा का रद्दकरण –**

(1) नियत अवधि में देय किस्तों एवं उस पर देय कर आदि का भुगतान नहीं करने की दशा में क्रेता को नियत समय के पूर्व विक्रय मूल्य की शेष राशि का फीस के रूप में 5 प्रतिशत क्रेता के लिखित आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 15 दिनो की अवधि के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा केवल एकबार संविदा का विस्तार किया जा सकेगा। यदि क्रेता संविदा की अवधि विस्तार नहीं करवाता है तो संविदा रद्द कर दी जायेगी और प्रतिभूति–राशि समपहृत कर ली जायेगी और इस संबध में जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा क्रेता को भेज दी जायेगी।

(2) एकबार रद्द संविदा पुनर्जीवित नहीं की जायेगी और बिना कार्य किये पूर्ण या अंश लौट की यथास्थिति फिर से बिक्री की जा सकेगी जिस पर क्रेता का अधिकार नहीं होगा।

12. **वृक्षों की बिकी हेतु मार्किंग करने की प्रकिया –**

(1) नहर तट / पथपट / बाँध इत्यादि के लिए प्रत्येक किलामीटर के लिए अलग–अलग मार्किंग लिस्ट तैयार की जायेगी।

(2) 45 से0मी0 या उससे अधिक गोलाई (सीने की ऊँचाई तथा 4'6'' पर) के सभी वृक्षों को मार्किंग किया जायेगा।

(3) मार्किंग किये गये सभी वृक्षों की सीने ऊँचाई (4'6'') पर गोलाई की माप ली जायेगी । यह माप से0मी0 में होगी और मार्किंग लिस्ट में गोलाई दर्ज की जायेगी।

(4) मार्किंग किये गये एवं बेचे जाने वाले प्रत्येक वृक्षों को, सीने की ऊँचाई पर तथा जमीन के पेड की घास छीलकर, वृक्ष की संख्या काले पेंट से संख्यांकित की जायेगी तथा नहीं बेचे जाने वाले वृक्षों को सीने की ऊँचाई पर वृक्ष की संख्या लाल पेंट से संख्याकित की जाएगी।

(5) 45 से0मी0 से कम गोलाई के नही बेचे जाने वाले वृक्षों पर मार्किंग, केवल सीने की ऊँचाई पर लाल रंग के पेंट के किया जाएगा तथा उनकी प्रजाति एवं संख्या मार्किंग लिस्ट में दर्ज की जायेगी फिर भी 45 से0मी0 से कम गोलाई के बेचे जाने वाले वृक्षों पर छाती की ऊँचाई स्तर एवं जमीन के पास दोनों स्थान पर या तो काला पेंट से अथवा धातु के पतले चादर पर मार्किंग की जायेगी।

(6) बेचे जाने के लिए सूखे / गिरे बीमारग्रस्त, मूल वृक्षों की पातन–पंजी साथ ही साथ नहीं बेचे जाने वाले सभी हरे एवं स्वस्थ वृक्ष की पंजी भी पृथक रूप से तैयार की जाएगी । पातन पंजी के आधार पर बेचे जाने वाले वृक्षों की ही बिकी एवं विदोहन किया जाएगा। हरे एवं स्वस्थ वृक्ष सामान्यतया नहीं काटे जाऐंगे। यदि तकनीकी दृष्टिकोण से उनका पातन आवश्यक हो तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सहमति प्राप्त कर ऐसा किया जा सकेगा।

(7) ऐसे रैखिक क्षेत्र जहाँ किलोमीटर का कोई संकेत उपलब्ध नही होगा, वहा किसी स्पष्ट चिन्ह् को शून्य मानकर आगे एक कि0मी0 के लिए मार्किंग लिस्ट बनाई जायेगी।

(8) जिन रैखिक क्षेत्रों जहाँ सड़क / नहर / बांध के दोनो तरफ वृक्ष होंगे , वहा मार्किंग करने का कार्य किसी एक ओर से आरम्भ करते हुए प्रारंभिक बिन्दु पर मार्किंग समाप्त की जायेगी।

(9) प्रत्येक कि0मी0 के दोनों सीमा पर अवस्थित वृक्षों पर पीले रंग के "पेंट" से दो ईंच चौड़ी विलय रिंग वृक्ष पर 4' की ऊँचाई पर मार्किंग किया जायेगा।

(10) प्रत्येक कि0मी0 के एक लौट को सामान्यतया दो खंडो (सेक्शन) में बांटा जायेगा। यदि आवश्यक हो तो लौट को दो से अधिक खंडो (सेक्शन) में बांटा जा सकेगा। खंडों का नियतिकरण उपलब्ध पेडो की संख्या को बराबर–बराबर विभक्त करके किया जायेगा।

(11) मार्किंग लिस्ट छपे प्रपत्रो में तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी। जिसमें प्रथम प्रति वन क्षेत्र कार्यालय, दूसरी प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय और तीसरी प्रति क्रेता के लिए हो।

(25)

(12) मार्किंग लिस्ट वनरक्षी द्वारा तैयार की जायेगी जहाँ वनरक्षी नहीं है वहाँ वनपाल द्वारा सूची तैयार की जायेगी।

(13) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक और वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रत्येक लौट के औसतन एवं न्यूनतम मार्किंग किये गये वृक्षों के क्रमशः 10%, 2% एवं 1% की मापी का सत्यापन करेंगे। सत्यापन में यह ध्यान रखा जायेगा कि भिन्न–भिन्न स्तरों के पदाधिकारी भिन्न–भिन्न वृक्षों का सत्यापन करें।

(14) काष्ठ जलावन, सेला, खूँटा इत्यादि की तादाद का अनुमान प्रत्येक लौट के लिए अलग–अलग किया जायेगा।

(15) एक कि0मी0 की लम्बाई से कम लम्बी पट्टी को भी अलग लौट माना जा सकेगा और उनकी वास्तविक लम्बाई मार्किंग लिस्ट एवं लौट लिस्ट में दर्शायी जायेगी।

(16) उपर्युक्त सूचियों के वन प्रक्षेत्रवार संकलन, सारांश बनाने एवं संबंधित लिपिकीय कार्य हेतु तथा वृक्षों के मार्किंग करने का मजदूरी दर एवं उसपर उपगत होनेवाला आवश्यक व्यय लेखन सामग्री सहित, का मानक दर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

13. सुरक्षित मूल्य निर्धारण की प्रकिया –

राज्य स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड राँची के द्वारा विभन्न प्रजातियों के खड़े/गिरे वृक्षों के मानक बिक्री दर का निर्धारण किया जायेगा और उसी मानक दर के आधार पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी लौट के सुरक्षित मूल्य की गणना करेगा एवं उसे वन संरक्षक को अनुमोदन के लिए देगा। वन संरक्षक आवश्यक समीक्षा के बाद प्रस्ताव प्राप्ति के अधिकतम सात दिनों के भीतर उचित मूल्य को नियत कर देंगे।

14. वृक्ष पातन की प्रकिया –

(1) वन प्रमण्डल पदाधिकारी से लौट में कार्य करने संबंधी आदेश मिलने के बाद ही केता द्वारा पातन कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(2) वृक्षों का पातन एक तरफ से आरम्भ कर बढ़ते कम में दूसरी तरफ लगातार होगा जो केता के लौट का मूल्य कर सहित पातन आरम्भ करने में पूर्व जमा कर देंगे वे अपनी इच्छानुसार लौट मे वैसे भी पातन कर सकेंगे।

ऐसे पातन के पश्चात्, खूँटे पर वृक्ष का नम्बर केता द्वारा काला पेंट से मार्किंग लिस्ट के अनुरूप रेखांकित किया जायेगा।

पातन यथासम्भव, जमीन से सटा कर किया जायेगा किन्तु पेड के नीचे का मार्किंग सुरक्षित रखा जायेगा।

वृक्षों का पातन इस प्रकार किया जायेगा जिससे सड़क/नहर इत्यादि पर परिवहन आवागमन में कोई रूकावट/अस्त व्यस्तता न हो, और आसपास के क्षेत्रों में किसी चल या अचल सम्पदा की हानि न हो। यदि किसी सम्पदा का कोई नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेवारी केता की होगी और केता को प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों मे वन विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(3) वृक्षों के पातन से सड़क–संचार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर केता अपने खर्च से तुरन्त इसे बहाल करेगा।

(4) वृक्षों के पातन केता द्वारा करते समय उन वृक्षों को नुकसान नही पहुँचाया जायेगा जिनका पातन नही किया जाना है। किसी नुकसान की स्थिति में केता को ही किए गये नुकसान की प्रतिपूर्ति करनी होगी। नुकसान का आकलन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा और वन संरक्षक का निर्णय इस विषय में अन्तिम होगा।

(5) वृक्ष के पातन के दौरान आवागमन की कोई हानि न हो, इसके लिए सारी आवश्यक पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के उपाय [illegible] की जिम्मेदारी केता की रहेगी। इसके बावजूद भी यदि कोई नुकसान हो जाता है तो प्रतिपूर्ति के भुगतान का वहन केता द्वारा किया जायेगा।

(6) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व कोई वृक्ष पातन नहीं किया जायेगा।

(7) वृक्षो के पातन की गति तथा उसके निष्कासन और पासिंग की गति में केता द्वारा इस तरह से सामन्जस्य रखा जायेगा जिससे स्थल पर काष्ठ का संग्रह कम से कम समय के लिए हो।

(8) एक पातन खंड का पातन पूर्ण होने के बाद ही कमिक रूप से दूसरे पातन खंड में पातन का कार्य केता द्वारा आरम्भ किया जायेगा। किन्तु सम्पूर्ण कय मूल्य भुगतान कर देने पर केता के लिए यह बाध्यकर नहीं होगा।

15. पातन पंजी संधारण सम्बन्धी प्रावधान –

(1) केता द्वारा खरीदे गये प्रत्येक लौट के पेडो की पातन पंजी संधारित की जायेगी। पातन पंजी में पूरे लौट की वृक्ष संख्या दर्ज की जायेगी। पातन की तिथि और वृक्षों के प्रकाष्ठन के पश्चात् काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े की मापी भी पातन पंजी में दर्ज वृक्ष संख्या के सामने दर्ज की जायेगी।

(2) प्रत्येक टुकड़े पर मार्किंग लिस्ट के अनुसार वृक्ष की संख्या और टुकड़ा संख्या केता द्वारा पेड के आकार से अधिक मोटाई वाले सिरे पर अंकित की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि 10 नं0 लकड़ी के पाँच टुकड़े केता द्वारा किये जाते है तो जड़ की तरफ से पहला टुकड़ा को 10/1 दूसरा टुकड़ा को 10/2 अंकित किया जायेगा और उसी प्रकार आगे 10/3, 10/4 और 10/5 अंकित किया जायेगा।

(3) पतले वृक्ष जो पोल, खूंटा एवं जलावन के योग्य होंगे तदनुसार अंकित किया जायेगा।

(4) केता द्वारा पातन पंजी का प्रपत्र वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा और उसे वन प्रमण्डल पदाधिकारी के निदेशानुसार संधारित किया ज़ायेगा।

प्रत्येक वृक्ष से प्राप्त होने वाले रोलों, पोलों एवं खूंटो की संख्या पंजी में दर्ज करनी होगी। वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी आवश्यकतानुसार समय–समय पर पातन पंजी का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देंगे।

(5) प्रकाष्ठन के बाद केता द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी से सम्यकरूप से पंजीकृत अपने सम्पति चिन्ह (हथौड़ा) काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े पर उसके मोटे सिरे पर लगाना आवश्यक होगा। वन विभाग पासिंग हैमर काष्ठ के उन टुकड़े पर नहीं लगायेगा जिस पर केता के सम्पति चिन्ह न हो।

16. पातित काष्ठ के निष्कासन की प्रकिया –

(1) पातन पट्टी से ही वनोत्पाद (काष्ठ, जलावन, पोल खूंटा आदि) की बिकी का अधिकार केता को नहीं होगा। कार्यादेश प्राप्ति के अधिकतम तीन माह के कालावधि के भीतर केता को प्रत्येक लौट के काष्ठ का पातन स्थल पर से निष्कासन सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्र के आधार पर ही किया जायगा।

(2) किसी विशेष परिस्थिति मे नियत अवधि के भीतर निष्कासन का कार्य पूरा न हो तो केता को उसके लिखित आवेदन पर जिसमें कार्यादेश के विस्तार का कारण एवं औचित्य स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, कार्यादेश विस्तार की अनुमति संबंधित वन संरक्षक द्वारा समीक्षोपरान्त, औचित्य एवं कारण दर्शाते हुए लिखित रूप में दी जा सकेगी। कार्यादेश का अवधि विस्तार केता द्वारा विकय मूल्य की शेष राशि का 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करने पर एक बार में अधिकतम 15 दिनों हेतु केता के लिखित आग्रह पर और पुनः 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करने पर वन संरक्षक द्वारा पुनः 15 दिनों के लिए किया जा सकेगा। उसके बाद समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जायेगी और अवशेष वन उत्पादों को जब्त कर लिया जायेगा। कार्यादेश विस्तार केता का अधिकार नहीं होगा किन्तु उन का युक्तियुक्त [illegible] के औचित्य का विचारोपरान्त दिया जा सकेगा।

कार्यादेश विस्तार के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित वन संरक्षक के विवेकाधीन होगा।

(3) स्थल पर से पातित वनोत्पाद का परिवहन करते समय क्रेता सड़क, बांध एवं नहर आदि के लिए संबंधित पैतृक विभाग के सामान्य निर्देशों का पालन करेंगे और संबंधित विभाग द्वारा प्रतिबंध हो तो भारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे।

(4) आवागमन/परिवहन/भंडारण आदि कार्य हेतु रैयतो की भूमि का उपयोग क्रेता संबंधित भू–स्वामी की सहमति से ही करेंगे। वन विभाग पर उक्त क्रियाकलापों के लिए कोई जवाबदेही नही होगी।

(5) सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच की अवधि में वनोपज के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया जा सकेगा।

(6) स्थल पर से वनोपज परिवहन का कोई भी परिवहन अनुज्ञा पत्र सिर्फ मूल क्रेता के ही नाम से जारी किया जायेगा।

17. **प्रतिभूति राशि की वापसी –**

(1) संबंधित वनों के क्षेत्र पदधिकारी से संतोषप्रद कार्य समापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त क्रेता को प्रतिभूति राशि वापस की जायेगी।

(2) क्रेता या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा विभाग को पहुँचायी गयी किसी प्रकार की हानि की वसूली उनकी प्रतिभूति राशि से की जायेगी। फिर भी यदि विभाग को पहुँचायी गयी हानि की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक है, तो क्रेता से शेष राशि की वसूली विधि सम्मत तरीकों से की जायेगी।

18. **सामान्य अनुदेश** – इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को प्रतिवेदित किया जायेगा। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने बाद निर्णय लेंगे तथा आवश्यक आदेश पारित करेंगे जो अंतिम होगा।